क्रम–संख्या–46

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–19
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
परिनियत आदेश

लखनऊ, बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025
21 फाल्गुन, शक सम्वत् 1946

विधान परिषद् सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या-775/वि0प0-02सं0/2025
लखनऊ, दिनांक 12 मार्च, 2025

———————

अधिसूचना

प0आ0–44

उत्तर प्रदेश की माननीया राज्यपाल का दिनांक 12 मार्च, 2025 का निम्न आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

'' 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करती हूँ।

दिनांक : 12 मार्च, 2025

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।''

आज्ञा से,

डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 59 राजपत्र (509)-12-03-2025-585+25 प्रतियां (कम्प्यूटर)।